

# फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम केलाश

नाम न्यायालय

केस संख्या 140/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
293/18		<p>प्रथम शंकरलाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र मंगलसत धारा 151, 152 C.P.C का पेश किया। जिसमें अंकित किया कि पारित निर्णय दिनांक 26/12/10 में वाबूलाल का हिस्सा कुर्बाना रिपोर्ट में 3/8 है जो सहवात से निर्णय में 2/4 कर दिया है जिस दुरात किया जाना आवश्यक है तथा वादी का हिस्सा 7/12 है जिस कुर्बाना रिपोर्ट में 7/16 अज्ञात कर दिया है कल. हिस्से को दुरात कर संबंधित निर्णय पारित करें</p> <p>वादी शंकरलाल द्वारा दखिद वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151, 152 का कुदलोलनात किया। पत्रवली में पारित निर्णय पर आज्ञा किया पारित निर्णय व डिक्री में वाबूलाल का हिस्सा सहवात से 3/8 के साथ पर 2/4 कर दिया गया जिस दुरात किया जाना आवश्यक है</p> <p>दूसरी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151, 152 C.P.C को स्वीकार किया जाय है पारित निर्णय व डिक्री में वाबूलाल का हिस्सा 2/4 के साथ पर 2/4 रहे जाय के कहेअ दिवस जाते है तथा सहवात 9/14 का हिस्सा रिपोर्ट के अनुसार दुरात किया जाय पत्रवली केवाले धुआत केका जाय से काठहा</p>

